भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1974

सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

बाल श्रमिक

1974. श्री संजय काका पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को हाल ही के कई अध्ययनों की जानकारी है जिनमें देश भ्रर में बाल श्रम के मामलों में वृद्धि की ओर संकेत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या देश भ्रर में बाल श्रम के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में बाल श्रम के मामलों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बाल श्रम के मामलों में ऐसी वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के एक प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया, 2020" के अनुसार देश में बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान क्रमशः 464,772 और 476 मामले पंजीकृत किए गए थे। राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ): सरकार बाल श्रम के उन्मूलन के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपना रही है और व्यापक उपाय किए गए हैं, जिसमें विधायी उपाय, पुनर्वास कार्यनीति, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करना और सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास शामिल हैं, ताकि बाल श्रम की घटनाओं को समाप्त किया जा सके। सांविधिक और विधायी उपायों, पुनर्वास कार्यनीति और शिक्षा संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है, जो दिनांक 01.09.2016 से प्रभावी हुआ। इस संशोधन में इस अधिनियम के उल्लंघन हेतु नियोक्ताओं के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है और इस अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

(ii) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन केन्द्रीय नियम बनाना।

(iii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई बिंदुओं की गणना करते हुए मॉडल राज्य कार्य योजना तैयार करना और उसे सभी मुख्य सचिवों को परिचालित करना।

(iv) बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना, जिसे अब समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) स्कीम के साथ समायोजित किया गया है, का कार्यान्वयन।

* ******

अनुबंध

'बाल श्रमिक' के संबंध में श्री संजय काका पाटील द्वारा पूछे गए दिनांक 14.03.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1974 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या :

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020
1.	आंध्र प्रदेश	0	2	37
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1
3.	असम	39	68	40
4.	बिहार	14	15	3
5.	छत्तीसगढ	0	2	0
6.	गुजरात	35	64	39
7.	हरियाणा	6	11	1
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1
9.	झारखंड	17	18	27
10.	कर्नाटक	63	83	54
11.	केरल	3	2	0
12.	मध्य प्रदेश	3	4	1
13.	महाराष्ट्र	90	53	29
14.	मेघालय	0	2	0
15.	पंजाब	8	8	11
16.	राजस्थान	32	48	30
17.	तमिलनाडु	6	3	2
18.	तेलंगाना	125	314	147
19.	त्रिपुरा	0	0	1
20.	उत्तर प्रदेश	2	9	1
21.	उत्तराखंड	0	27	41
22.	पश्चिम बंगाल	5	7	3
23.	चंडीगढ़	0	0	1
24.	दमन और दीव	0	2	
25.	दिल्ली	15	30	6
	कुल	**464**	**772**	**476**

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

*****